भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2463
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

विद्यालयों में खेल की अनिवार्यता

†2463. श्री प्रिंस राज:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विद्यालय जाने वाले बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार/राज्य सरकार के सभी माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक अनिवार्य है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं और बिहार में शारीरिक शिक्षा शिक्षक की स्थिति क्या है; और
(घ) क्या सरकार/राज्य सरकार की स्कूली शिक्षा में खेलों को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है और बिहार के संबंध में इसकी क्या स्थिति है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा - एकीकृत योजना शुरू की, जो प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। बच्चों के समग्र विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए, समग्र शिक्षा के तहत 'खेल और शारीरिक शिक्षा' नामक एक समर्पित घटक लागू किया जा रहा है। इस घटक के तहत खेल उपकरण खरीदने के लिए प्राथमिक के लिए 5000 रुपये, माध्यमिक के लिए 10,000 रुपये और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों के लिए 25,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय अनुदान आवंटित किया गया है। इसके अलावा, योजना के नए मानदंडों के अनुसार, खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में किसी स्कूल के कम से कम 2 छात्रों के पदक जीतने पर स्कूलों को प्रति स्कूल 25000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में भी, न केवल एक पाठ्येतर गतिविधि के रूप में, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के समग्र विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में खेल पर विशेष बल दिया गया है। नीति में खेल को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है और खेल-एकीकृत शिक्षा के साथ-साथ फिटनेस को आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है।

इस विभाग ने दिसंबर, 2018 में समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान के लिए दिशानिर्देश (https://samagra.education.gov.in/docs/Sports%20Guidelines.pdf) जारी किए और इसके अलावा, इस विभाग ने इसे संशोधित किया तथा अगस्त, 2023 में एनईपी, 2020) की सिफारिश को शामिल करते हुए दिशानिर्देश (https://samagra.education.gov.in/docs/revized_samagra_sports.pdf जारी किए।

खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने खेल संस्कृति में सुधार हेतु देश में खेलों के विकास के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा, फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। इन योजनाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, इस विभाग ने नियमित अंतराल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों को परामर्श/सुझाव/सिफारिशें परिचालित की हैं।

(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है, इसलिए, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (जनवि) में कक्षा VI से XII तक के सभी छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (एक पुरुष और एक महिला) के दो पद स्वीकृत हैं। बिहार राज्य के जनवि में शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पुरुष और महिला) के कुल 76 पद स्वीकृत हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के पास देश भर के सभी केवि में खेलों को सिखाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा (टीजीटी पी एंड एचई) के नियमित पद का प्रावधान है। दिनांक 01.12.2023 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में टीजीटी पी एंड एचई के संस्वीकृत पदों की संख्या 53 है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के पद स्वीकृत किए हैं। सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में या तो शारीरिक शिक्षा शिक्षक या शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक का पद होता है।

(घ): केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा I-XII के छात्रों के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए एक सुव्यवस्थित और भली-भांति

डिजाइन किया गया स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (एचपीई) कार्यक्रम शुरू किया है। सीबीएसई ने I-XII तक सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने स्कूलों को प्रत्येक दिन कक्षा I-XII के लिए एचपीई का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। इन कक्षाओं के सभी छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कम से कम दो खेल गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है और इसे दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड में शामिल किया गया है। इसके अलावा, जनवि ने बिहार राज्य के जनवि सहित सभी जनवि में सीबीएसई के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को लागू किया है। इसके अलावा, देश भर के सभी केवि में कक्षा I से XII तक खेल-कूद सिखाई जाती है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूल की दैनिक दिनचर्या में सभी कक्षाओं के लिए अलग से एक पीरियड खेल के लिए समर्पित किया है।

****